



## कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा

Court Road, Jamtara, Jharkhand-815351

E-mail :- dfo-jamtara@gov.in, dfo.jamtara@rediffmail.com



जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा अन्तर्गत जामताड़ा, नारायणपुर एवं नाला वन प्रक्षेत्र के कार्यालय प्रांगण परिसर में विभिन्न प्रजाति के काष्ठ भंडारित है। वन क्षेत्र पदाधिकारी, जामताड़ा, नारायणपुर एवं नाला का मोबाईल नं०— 9608823485 / 8987790458 एवं स्थल का जी०पी०एस० N- 24<sup>0</sup>04'80 E- 86<sup>0</sup>61.'087 / N- 23<sup>0</sup>54'.58 E-87<sup>0</sup>2'33 है। "जहाँ है, जिस स्थिति में है" के आधार पर कुल— 05 लॉटों की बिक्री हेतु आम नीलामी के लिए तिथि निर्धारित की गई जो निम्नवत है :-

क्र०	वन प्रक्षेत्र का नाम	वनागार का विवरण	आम नीलामी की तिथि	आम नीलामी का समय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	जामताड़ा	जामताड़ा वन क्षेत्र कार्यालय जामताड़ा	13.09.2022	11 बजे पूर्वाह्न	
2	नारायणपुर	नारायणपुर वन क्षेत्र कार्यालय नारायणपुर	13.09.2022	3 बजे अपराह्न	
3	नाला	नाला वन क्षेत्र कार्यालय नाला	14.09.2022	11 बजे पूर्वाह्न	

### नीलामी की शर्तें

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति का GST अन्तर्गत निबंधन होना चाहिए।
2. नीलामी में गेट मनी के रूप में 5000/- (पाँच हजार रुपये) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट (जो कि Divisional Forest Officer, Jamtara Forest Division, Jamtara के पदनाम से निर्गत एवं जामताड़ा में भुगतेय), पैनकार्ड तथा जी०एस०टी० निबंधन की छायाप्रति उपलब्ध कराने के पश्चात नीलामी में भाग लेंगे।
3. सर्वोपरी बोली लगानेवाले व्यक्ति को नीलामी में क्रय मूल्य का 20 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा। अवशेष राशि जो बैंकर्स चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे, जिसके संबंध में अलग से पत्र निर्गत कर सफल क्रेता को सूचना दी जाएगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी भी दिन नारायणपुर एवं नाला प्रक्षेत्र कार्यालय प्रांगण परिसर में लॉटों का अवलोकन कर सकते हैं। लॉट विवरणी प्रमंडलीय कार्यालय, जामताड़ा एवं नारायणपुर तथा नाला प्रक्षेत्र कार्यालय से सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।
5. लकड़ियों के क्रय मूल्य के अतिरिक्त अन्य कर (CGST, SGST तथा आयकर) क्रेता द्वारा अलग से जमा कर संबंधित प्रमाण-पत्र प्रमंडलीय कार्यालय, जामताड़ा में जमा करेंगे।
6. प्रमंडलीय कार्यालय, जामताड़ा द्वारा क्रेता से क्रय मूल्य एवं सेस की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।

7. नीलामी में भाग लेनेवाले सफल व्यक्ति 30 (तीस) दिनों के अन्दर पूरी राशि एवं GST तथा अन्य कर नियमानुसार एक मुश्त में जमा करना होगा।
8. सफल व्यक्ति को GST कर रिटर्न में D.F.O Jamtara **GSTIN No.- 20RCHJ00332D1D7** के पक्ष में रिवर्स चार्ज में प्रविष्टि (Entry) करना होगा। रिटर्न की प्रति प्रमंडलीय कार्यालय, जामताड़ा में जमा करने के पश्चात लकड़ी को विमुक्त किया जायेगा।
9. नीलामी में भाग लेने वाले सफल व्यक्ति द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत पूरी राशि एवं अन्य कर जमा नहीं करने पर उनके द्वारा जमा किया गया अग्रधन/प्रतिभूति की राशि बिना कोई कारण बताये राज्यसात (Forfeit) कर लिया जायेगा।

नीलामी की तिथि में परिवर्तन एवं रद्द करने की शक्ति वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा को होगा।

(बनकर अजिंक्य देविदास),  
भा0व0से0  
वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
जामताड़ा वन प्रमंडल।